उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 69वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 22.10.2021

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्सः 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.10.2021 को सम्पन्न हुई 69वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —सदस्य / सचिव
3. श्री अशोक कुमार सिंह, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) —सदस्य
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) —सदस्य
5. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) —सदस्य
6. श्री सुनील श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) —सदस्य
7. श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) —सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री सलिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार, (भू–अर्जन), यूपीडा।
7. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (तकनीकी) डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
8. श्री अरूण कुमार पाठक, मुख्य महाप्रबन्धक (विद्युत), यूपीडा।
9. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
10. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी, भू–अर्जन, यूपीडा।
11. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
12. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
13. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
14. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
15. श्री किशोर कुमार पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
16. श्री कमल कुमार, सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
17. श्री के0के0 अस्थाना, वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद नियोजक), यूपीडा।
18. श्री सियाराम मौर्य, वरिष्ठ भू–अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
19. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
20. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 69वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2021 को सम्पन्न हुई 68वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 68वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2021 को सम्पन्न 68वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2021 को सम्पन्न हुई 68वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **Adoption of "UTTAR PRADESH EXPRESSWAYS INDUSTRIAL DEVLOPMENT AUTHROITY LAND AND BUILDING REGULATIONS 2021"**

कार्यवाही / निर्णय:– यूपीडा द्वारा विकसित किये जा रहे Defence Nodes में आवंटित भूमि पर आवन्टियों द्वारा भवन निर्माण एवं भूमि के विकास हेतु UPSIDA के प्रचलित By Laws को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में UPSIDA के वर्तमान में प्रचलित Uttar Pradesh Industrial Developmentt Area-Land Development and Building Regulations – 2018 को यूपीडा की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित कर लिया गया है।

वर्तमान में यूपीडा द्वारा मात्र डिफेन्स नोड्स का विकास किया जा रहा है परन्तु भविष्य में एक्सप्रेसवेज के किनारे तथा अन्य स्थानों पर भी औद्योगिक विकास का कार्य कराये जाने के दृष्टिगत इन बाइलॉज को संशोधित किया गया है। संशोधित बाइलॉज "Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority-Land Development and Building Regulations – 2021" बनाया गया है। इन बाइलॉज को अन्तिमीकृत करके अंगीकृत करने हेतु इन पर Stake holders की आपत्तियाँ आमंत्रित किये जाने हेतु यूपीडा की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नियमानुसार समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गई थी।

यह byelaws दिनांक 09.09.2021 से 19.09.2021 तक यूपीडा की वेबसाईट पर डिस्प्ले किया गया। आपत्तियाँ आमन्त्रित करने हेतु अनुमोदनानुसार टाईम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दी हिन्दुस्तान एवं हिन्दी दैनिक जागरण में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था investors को पृथक रूप में मेल द्वारा इसकी सूचना भी प्रेषित की गयी एवं उनसे आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी। इस पर दिनांक 19.09.2021 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः बाइलॉज Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority-Land Development and Building Regulations – 2021" निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा में आत्मसात किये जाने पर सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु–04:– आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज संख्या–02 एवं 04 के कॉन्ट्रैक्टर (Afcons Infrastructure Limited) द्वारा आरबिट्रेशन को सन्दर्भित विवादित भुगतान विषयक वादों में यूपीडा के एडवोकेट ऑन रिकार्ड तथा सीनियर एडवोकेट हेतु क्रमशः सुश्री सनम त्रिपाठी एवं श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी को सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज संख्या–02 एवं 04 के कॉन्ट्रैक्टर (Afcons Infrastructure Limited) द्वारा आरबिट्रेशन को सन्दर्भित विवादित भुगतान विषयक वादों में यूपीडा के एडवोकेट ऑन रिकार्ड तथा सीनियर एडवोकेट हेतु क्रमशः सुश्री सनम त्रिपाठी एवं श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी को सम्बद्ध किये जाने के उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यहित में कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–05:–

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज संख्या–1, 2 एवं 4,5 के कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा आरबिट्रेशन को सन्दर्भित विवादित भुगतान विषयक वादों में यूपीडा को विधिक सहायता देने हेतु श्री अभिषेक द्विवेदी, एडवोकेट को सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज संख्या–1, 2 एवं 4,5 के कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा आरबिट्रेशन को सन्दर्भित विवादित भुगतान विषयक वादों में यूपीडा को विधिक सहायता देने हेतु श्री अभिषेक द्विवेदी, एडवोकेट को सम्बद्ध किये जाने पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि श्री अभिषेक द्विवेदी, एडवोकेट सप्ताह में न्यूनतम 03 दिन यूपीडा कार्यालय में उपस्थित रह कर उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर करेंगे एवं उपस्थित पंजिका मुख्य अभियन्ता / मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा प्रमाणित की जायेगी साथ ही अन्य दिन आवश्यकता पड़ने पर श्री अभिषेक द्विवेदी, एडवोकेट को कार्यालय बुलाया जा सकता है।

एजेण्डा बिन्दु–06:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी 06 पैकेजो में ई0पी0सी0 ठेकेदारों को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि (Appointed Date) दिनांकः 15.01.2020 दी गई थी। तद्क्रम में उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किये गये और वर्तमान में दिनांकः 18.10.2021 तक सभी पैकेजों की भौतिक व वित्तीय प्रगति निम्नवत् है–

क्रम सं0	पैकेज संख्या	ठेकेदारों के नाम	दिनांक 18.10.2021 तक भौतिक प्रगति(%)	दिनांक 18.10.2021 तक वित्तीय प्रगति(%)
1	I	एप्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	68.96%	51.52%
2	II	एप्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	68.29%	51.99%
3	III	अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड	71.70%	61.10%
4	IV	गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेड	84.71%	78.63%
5	V	गावर कन्सट्रक्सन लिमिटेड	77.29%	69.49%
6	VI	दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड	68.66%	54.45%
		कुल प्रतिशत	**73.49%**	**61.59%**

कार्यवाही / निर्णय

उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–07:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (**COS**) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनसामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यों के लिए ई0पी0सी0 ठेकेदारों को उनके अनुबन्ध के क्लाज 13 के अन्तर्गत अनुमोदनोपरान्त अथॉरिटी इन्जीनियर द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत की गई है–

क्रम सं0	पैकेज संख्या	कार्य का नाम
1.	///	1. Contract Agreement में चैनेज 113+280 व 133+675 पर प्राविधानित वी0यू0पी0 के निकट क्रमशः चैनेज 113+260 व 133+710 पर वर्षा/नहर के जल के निकास की सुविधा हेतु स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर Article 13 के अन्तर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत MCW एवं Service Road में 2mx2m साइज के 02 बॉक्स कल्वर्टस् के निर्माण का कार्य।
		TL-1, COS Notice letter no- ICT/BEWP/AE1/TL/901 dated: 08/09/2021

कार्यवाही/निर्णय — उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की कृत कार्यवाही से अवगत हेते हुये संतुष्टि प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **Sub:- Approval of Relaxation in Schedule-H up to 31st December, 2021 as per approval conveyed by MoRTH vide order no. COVID-19/RoadMap/JS(H)/2020[e-183777] dated 08.10.2021.**

कार्यवाही/निर्णय — बोर्ड द्वारा मा0 मंत्रीपरिषद से शेड्यूल एच में शिथिलीकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने पर सहमति दी गई।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदन।**

कार्यवाही/निर्णय — अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय सर्विस लेन एवं अण्डर पास बनने पर अनेक स्थानों पर ग्राम वासियों को अपने खेतों तक जाने के लिये मार्ग अवरूध हो जाता है, जिसके लिये समय–समय पर ग्रामीणों/स्थानीय निवासी एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा सर्विस लेन एवं अण्डर पास आदि बनवाने के लिये अनुरोध किया जाता है। उपरोक्त कारणों से जनहित में चेंज आफ स्कोप के अन्तर्गत तकनीकी निर्माण कार्यो का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जो सामान्यता परियोजना में चेंज आफ स्कोप के बजट से काफी कम होता है। उक्त के आलोक में वर्तमान चेंज आफ स्कोप का प्रस्ताव निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–10:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।**

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जानाः–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना हैः–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	02.07.2021	01 वर्ष	02.07.2022	सं0–4919/यूपीडा/1777/20/ अधि0 दिनांक 27.08.2021
2.	श्री राम प्रकाश भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2021	06 माह	02.03.2022	सं0–4885/यूपीडा/1658/20/ अधि0 दिनांक 27.08.2021

3.	श्री कृपाल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	13.08.2021	06 माह	13.02.2022	सं0–4884 / यूपीडा / 1221 / 19 / अधि0 दिनांक 27.08.2021
4.	श्री ईशान देव गिरि	कनिष्ठ अधिवक्ता	10.08.2021	06 माह	10.02.2022	सं0–5006 / यूपीडा / 1802 / 20 / अधि0 दिनांक 01.09.2021
5.	डा0 शिव सिंह कनौजिया	सहायक प्रबन्धक (अधिष्ठान)	18.09.2021	06 माह	18.03.2022	सं0–5049 / यूपीडा / 1323 / 19 / अधि0 दिनांक 02.09.2021
6.	श्री राम बरन यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.09.2021	03 माह	18.12.2021	सं0–5045 / यूपीडा / 431 / 15 / अधि0 दिनांक 02.09.2021
7.	श्री राममूर्ति	निजी सचिव	02.09.2021	03 माह	02.12.2021	सं0–5044 / यूपीडा / 1109 / 18 / अधि0 दिनांक 02.09.2021
8.	श्री केदार यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.09.2021	06 माह	18.03.2022	सं0–5046 / यूपीडा / 1088 / 18 / अधि0 दिनांक 02.09.2021
9.	श्री श्याम सुन्दर चौधरी	लेखाकार कम कैशियर	11.09.2021	06 माह	11.03.2022	सं0–5048 / यूपीडा / 1682 / 20 / अधि0 दिनांक 02.09.2021
10.	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	लेखाकार	30.09.2021	06 माह	30.03.2022	सं0–5191 / यूपीडा / 519 / 15 / अधि0 दिनांक 07.09.2021
11.	श्री राजेश कुमार चन्देल	सुरक्षा अधिकारी	26.09.2021	06 माह	26.03.2022	सं0–5186 / यूपीडा / 888 / 18 / अधि0 दिनांक 07.09.2021
12.	श्री सत्य प्रकाश	सहायक सुरक्षा अधिकारी	08.09.2021	06 माह	08.03.2022	सं0–5187 / यूपीडा / 1238 / 19 / अधि0 दिनांक 07.09.2021
13.	श्री राम शकर सोनी	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2021	06 माह	24.03.2022	सं0–5193 / यूपीडा / 1480 / 19 / अधि0 दिनांक 07.09.2021
14.	श्री अतुल कुमार पाण्डेय	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2021	06 माह	24.03.2022	सं0–5194 / यूपीडा / 1482 / 19 / अधि0 दिनांक 07.09.2021
15.	श्री प्रकाश सिंह	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2021	06 माह	24.03.2022	सं0–5192 / यूपीडा / 1481 / 19 / अधि0 दिनांक 07.09.2021
16.	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2021	06 माह	02.03.2022	सं0–5185 / यूपीडा / 1660 / 20 / अधि0 दिनांक 07.09.2021
17.	श्री काली शकर वर्मा	सहायक भू–अर्जन अधिकारी	30.09.2021	06 माह	30.03.2022	सं0–5190 / यूपीडा / 1960 / 20 / अधि0 दिनांक 07.09.2021
18.	श्री अमर नाथ	वरिष्ठ सहायक (डिफेन्स कॉरिडोर)	18.09.2021	06 माह	18.03.2022	सं0–5277 / यूपीडा / 1470 / 19 / अधि0 दिनांक 09.09.2021
19.	श्री शंकर दयाल राम	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2021	06 माह	02.03.2022	सं0–5278 / यूपीडा / 1656 / 20 / अधि0 दिनांक 09.09.2021
20.	श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी	प्रबन्धक (सिविल)	06.09.2021	06 माह	06.03.2022	सं0–5279 / यूपीडा / 1665 / 20 / अधि0 दिनांक 09.09.2021
21.	श्री रवि कुमार	वरिष्ठ सहायक (नजारत)	18.09.2021	06 माह	18.03.2022	सं0–5455 / यूपीडा / 1472 / 19 / अधि0 दिनांक 17.09.2021
22.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	14.09.2021	06 माह	14.03.2022	सं0–5450 / यूपीडा / 1946 / 20 / अधि0 दिनांक 17.09.2021
23.	श्री रमेश चन्द्र दुबे	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.09.2021	06 माह	27.03.2022	सं0–5544 / यूपीडा / 844 / 18 / अधि0 दिनांक 20.09.2021
24	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक भू–अर्जन अधिकारी	30.09.2021	06 माह	30.03.2022	सं0–5546 / यूपीडा / 1962 / 20 / अधि0 दिनांक 20.09.2021
25.	श्री नरेन्द्र सिंह	सहायक भू–अर्जन अधिकारी	30.09.2021	06 माह	30.03.2022	सं0–5545 / यूपीडा / 1959 / 20 / अधि0 दिनांक 20.09.2021
26.	श्री हिरामन राम	लेखाकार कम कैशियर	18.09.2021	03 माह	18.12.2021	सं0–5557 / यूपीडा / 1081 / 18 / अधि0 दिनांक 21.09.2021
27.	श्री जितेन्द्र नाथ तिवारी	राजस्व सहायक	15.09.2021	03 माह	15.12.2021	सं0–5559 / यूपीडा / 1223 / 19 / अधि0 दिनांक 21.09.2021
28.	श्री रमेश नाथ सिंह	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	05.10.2021	06 माह	05.04.2021	सं0–5558 / यूपीडा / 2039 / 21 / अधि0 दिनांक 21.09.2021
29.	श्री मोहन चन्द्र मठपाल	फारेस्टर	21.09.2021	06 माह	21.03.2022	सं0–5560 / यूपीडा / 1857 / 20 / अधि0 दिनांक 21.09.2021
30.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	फारेस्टर	21.09.2021	06 माह	21.03.2022	सं0–5579 / यूपीडा / 1855 / 20 / अधि0 दिनांक 22.09.2021
31.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	सुरक्षा अधिकारी	30.09.2021	06 माह	30.03.2022	सं0–5780 / यूपीडा / 1237 / 19 / अधि0 दिनांक 30.09.2021
32.	श्री रमेश चन्द्र बैशवार	राजस्व निरीक्षक	30.09.2021	03 माह	30.12.2021	सं0–5864 / यूपीडा / 318 / 14 / अधि0 दिनांक 05.10.2021

33.	श्री शशि कान्त मिश्रा	सुरक्षा अधिकारी	05.10.2021	06 माह	05.04.2022	सं0–5868 / यूपीडा / 1866 / 20 / अधि0 दिनांक 06.10.2021
34.	श्री सूर्य कान्त द्विवेदी	सुरक्षा अधिकारी	05.10.2021	06 माह	05.04.2022	सं0–6003 / यूपीडा / 1867 / 20 / अधि0 दिनांक 11.10.2021
35.	श्री दयाराम यादव	लेखाकार कम कैशियर	24.10.2021	06 माह	24.04.2022	सं0–6078 / यूपीडा / 1084 / 18 / अधि0 दिनांक 12.10.2021

2. यूपीडा के पत्रों द्वारा औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में संविदा पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति का अनुमोदन 69 वीं बोर्ड की बैठक 22.10.2021 में प्राप्त किया जाना है:–

यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्ति के यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा अधिकारियों / सहायक सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है, जनमें योगदान देकर डयूटी पर उपस्थित रहने वाले सुरक्षा / सहायक सुरक्षा अधिकारी का अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 22.10.2021 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 स0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1	श्री राम विलास सिंह	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	01.10.2021	सं0–5798 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
2	श्री विनोद कुमार सिंह	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	01.10.2021	सं0–5798 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
3	श्री राम चरन	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	08.10.2021	सं0–5798 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
4	श्री प्रेमपाल सिंह	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	05.10.2021	सं0–5798 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
5	श्री कपिल देव सिंह यादव	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	07.10.2021	सं0–5798 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
6	श्री रियाज अहमद	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	06.10.2021	सं0–5798 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
7	श्री कृष्ण स्वरूप	सुरक्षा अधिकारी	06 माह	10.10.2021	सं0–5994 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 10.10.2021
8	श्री बादाम सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	07.10.2021	सं0–5797 / यूपीडा / 2178 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
9	श्री राजेन्द्र सिंह प्रथम	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	06.10.2021	सं0–5797 / यूपीडा / 2178 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
10	श्री राम चन्द्र वर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	01.10.2021	सं0–5797 / यूपीडा / 2178 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
11	श्री राजदेव पाठक	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	21.10.2021	सं0–5797 / यूपीडा / 2178 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
12	श्री राजपाल सिंह यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	07.10.2021	सं0–5797 / यूपीडा / 2178 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
13	श्री शैलेन्द्र सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	11.10.2021	सं0–5797 / यूपीडा / 2178 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021
14	श्री राम जगत तिवारी	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	08.10.2021	सं0–5797 / यूपीडा / 2178 / 21 / अधि0 दिनांक 01.10.2021

3. **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कार्य हेतु आउटसोर्स के माध्यम से तैनात किये गये वाहन चालकों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
अवगत कराना है कि निदेशक मण्डल की आहूत 66वीं बैठक दिनांक 15.06.2021 के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कार्य हेतु 48 वाहन चालकों की तैनाती आउटसोर्स के माध्यम से किये जाने हेतु निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे) के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे हेतु 07 अतिरिक्त वाहन चालक तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु अतिरिक्त 15 (48+15) वाहन चालक, कुल 70 वाहन चालक नियुक्त किये जाने का अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा इस शर्त एवं प्रतिबंध के साथ प्रदान किया गया था कि आगामी निदेशक मण्डल की बैठक में उक्त का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के कम में निदेशक मण्डल का अनुमोदन निवेदित है।

4. **यूपीडा के आई0जी0आर0एस0 एवं जेम पोर्टल पर आनलाईन कार्य हेतु आउटसोर्स पर वरिष्ठ सहायक ग्रेड–02 की तैनाती के सम्बन्ध में।**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा आई0जी0आर0एस0 कार्य आनलाइन किये जाने हेतु रू0 25,000/–प्रतिमाह के व्यय पर वरिष्ठ सहायक ग्रेड–02 की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपरोक्त अनुमोदन निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

5. **यूपीडा के मीडिया सहायक को अतिरिक्त कार्य हेतु विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।**
यूपीडा में संविदा पर दो मीडिया सहायक नियत वेतन रू0 20 हजार पर तैनात है, उक्त में एक मीडिया सहायक श्री प्रशांत मिश्रा द्वारा आवंटित कार्यो के अतिक्ति कैबिनेट नोट तैयार करने में भी पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। यूपीडा की वर्तमान कार्य आवश्यकताओं के दृष्टिगत उनके द्वारा किये जा रहें अतिरिक्त कार्य हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा रू0 10 हजार की धनराशि प्रतिमाह दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त स्वीकृत उपरान्त श्री प्रंशात मिश्रा का पद नाम मीडिया सहायक एवं सहायक जन सम्पर्क अधिकारी किया गया है एवं श्री प्रशांत मिश्रा को यह कार्य आवंटित रहने की अवधि तक अतिरिक्त वेतन के रूप में विशेष वेतन रू0 10 हजार प्रतिमाह प्राप्त होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के उपरोक्त अनुमोदन निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही/निर्णय — अधिष्ठान के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये एजेण्डा बिन्दु–10 के उप बिन्दु–01, 02, 03, 04 व 05 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **<u>यूपीडा निदेशक मण्डल की 69वीं बैठक दिनांक 22.10.2021 में MOU between the state Government and NHAI for Acquisition of Land & Hand Over to NHAI Ghazipur-Ballia-Majhighat project के सम्बन्ध में।</u>**

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत करया गया कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर यूपीडा द्वारा कार्य किया जा रहा था। किन्तु यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि एन0एच0ए0आई0 द्वारा इसी अलाईमेन्ट पर एन0एच0–31 पर कार्य किया जा रहा है। अतः निर्णय लिया गया कि :–

1. एन0एच0–31 चार लेन ग्रीन फिल्ड परियोजना गाजीपुर से बलिया के लिये जनपद गाजीपुर एवं बलिया की प्रभावित भूमि का क्रय (भू–स्वामियों के आपसी समझौते के आधार पर)/अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण यूपीडा द्वारा अपनी देख–रेख में कराकर एन0एच0ए0आई0 को उपलब्ध कराया जायेगा। इस परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने पर खर्च होने वाली समस्त धनराशि एन0एच0ए0आई0 द्वारा जिलाधिकारी गाजीपुर एवं बलिया को ट्रेजरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

2. क्रय (भू–स्वामियों के आपसी समझौते के आधार पर)/अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण से प्राप्त होने वाली समस्त गाटा संख्याएं एन0एच0ए0आई0 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होंगी। चूंकि भूमि एन0एच0ए0आई0 के नाम ली जानी है, ऐसे में एन0एच0ए0आई0 के वरिष्ठ अधिकारी को भी जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति में सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जाना उपयुक्त होगा। "जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" के संस्तुति के उपरान्त यूपीडा द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
3. एन0एच0–31 के पूर्णतया निर्माण तक यूपीडा द्वारा राजस्व स्टाफ का सहयोग एन0एच0ए0आई0 को दिया जाता रहेगा। ऐसे में परियोजना पर आने वाली कुल लागत का 01 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ के पक्ष में एन0एच0ए0आई0 द्वारा देय होगा, जो कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन एवं कार्यालय मद में खर्च होगा।

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई एवं शासन को भी सूचना प्रेषित कर दी गई है।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **उत्तर प्रदेश डिफेंस इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत विभिन्न रक्षा उद्योगों में भूमि के आवंटन हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति के गठन के सम्बन्ध में।**

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के अनुमोदन के फलस्वरूप दिनांक 15.01.2020 को भूमि के आवंटन हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति के कतिपय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण पद रिक्त हो गये थे, जिसके फलस्वरूप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा द्वारा दिनांक 27.08.2021 को प्रदान किये गये अनुमोदनोपरान्त एतद्द्वारा तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन निम्नवत् किया गया है–

क्र0स0	नाम	अंकित पद नाम	संशोधित पद नाम
01	कर्नल संजय सिंह	मुख्य महाप्रबन्धक (तकनीकी) डिफेन्स कॉरिडोर	यथावत्
012	श्री के0के0 पाण्डेय	वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल)	सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल)
03	श्री के0के0 गुप्ता	सलाहकार (वित्त)	वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाएं)
04	कर्नल एस0के0 त्यागी	वरिष्ठ सलाहकार (डिफेन्स कॉरिडोर)	वरिष्ठ परामर्शी (डिफेन्स कॉरिडोर)
05	श्री के0के0अस्थाना	वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद नियोजन)	यथावत्

कार्यवाही/निर्णय — उपरोक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यहित में कृत कार्यवाही पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माणकर्ताओं के साथ निष्पादित अनुबन्ध के शिड्यूल–एच के शिथिलिकरण को 31.12.2021 तक बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत, निर्माणकर्ताओं के अनुरोध के आलोक में मा0 निदेशक मण्डल से शिड्यूल–एच के शिथिलीकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–14:– **मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 18.10.2021 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण।**

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधि परामर्शी को निर्देशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में यूपीडा के विरष्ठ अधिवक्ता द्वारा सूचित वाद संख्या 20382 एवं वाद संख्या 22274 की अद्यतन कार्यवाही से सदस्यों को अवगत कराया जायें। उक्त दोनो प्रकरणों की विधि परामर्शी यूपीडा द्वारा अद्यतन स्थिति निम्नवत् अवगत करया गया है:—

क्र0 स0	वाद संख्या	जनपद	पक्षकार	विवरण / दिनांक
1	2	3	4	5
1	2082 / 2021	मैनपुरी (आगरा—लखनऊ एक्सप्रेसवे)	श्रीमती कान्ती देवी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	निस्तारित 23.10.2021
2	22274 / 2021	आजमगढ़ (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे)	प्रभुनाथ बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	याचिका विचारधीन है जिसमे इन्स्ट्रक्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अन्य वादों में जिनमें प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने है पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु—15:—

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक अतिरिक्त भूमि ग्राम घोड़वल तहसील मिल्कीपुर जनपद अयोध्या क्षे0— 0.2715 हे0 (पैकेज—02), जनपद गाजीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद ग्राम निजामपुर के 0.170 हे0 (पैकेज—08), जनपद आजमगढ़ की तहसील निजामाबाद के ग्राम करियावर के 0.027हे0, गोविन्दपुर के 0.052हे0 तथा तहसील सदर के ग्राम जमालपुर मधसिया के 0.281 हे0(पैकेज—06) व जनपद सुल्तानपुर की तहसील बल्दीराय में पैकेज—02 व 03 के अन्तर्गत ग्राम जरई कला में 0.62526 हे0 व पैकेज—03 के अन्तर्गत ग्राम हलियापुर की 1.4814 हे0 (कुल क्षे0—2.9082 हे0) के क्रय प्रस्तावों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय

प्रस्ताव का निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में यूपीडा के पक्ष में क्रय की गई भूमि का नामान्तरण यूपीडा के पक्ष में यथा शीघ्र करा लिया जायें एवं जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर उनसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जाये कि उनके जनपद में यूपीडा के पक्ष में क्रय किये गये भूमि का नामान्तरण किया जा चुका है। इस कार्य में अनुश्रवण हेतु भू—अर्जन से सम्बन्धित सभी वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु—16:—

'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के अंतर्गत जनपद—गोरखपुर में परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के अंतर्गत जनपद—गोरखपुर में परियोजना हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–17:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण के अन्तर्गत जनपद–महोबा की तहसील–महोबा के ग्राम–कौहारी में 0.625 हे0 भूमि क्रय प्रस्ताव एवं जनपद–इटावा की तहसील–भरथना के ग्राम–ढकपुरा में 0.2974 हे0 एवं तहसील–ताखा के ग्राम–ककराही में 0.0510 हे0 कुल 0.3484 हे0 भूमि क्रय प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय: निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण के अन्तर्गत जनपद–महोबा की तहसील–महोबा के ग्राम–कौहारी में 0.625 हे0 भूमि क्रय प्रस्ताव एवं जनपद–इटावा की तहसील–भरथना के ग्राम–ढकपुरा में 0.2974 हे0 एवं तहसील–ताखा के ग्राम–ककराही में 0.0510 हे0 कुल 0.3484 हे0 भूमि क्रय प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–18:– **डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के झाँसी नोड के अन्तर्गत जनपद झाँसी में यूपीडा के कार्यालय हेतु किराये पर भवन के अनुमोदन विषयक।**

कार्यवाही / निर्णय: निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के झाँसी नोड के अन्तर्गत जनपद झाँसी में यूपीडा के कार्यालय हेतु किराये पर भवन के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–01 **यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड / निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 22.10.2021 गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली परियोजना हेतु आवश्यक भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं बृहद परियोजना) क्रय की दर एवं कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों के द्वारा पारित / संस्तुत व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुमोदनार्थ.।**

कार्यवाही / निर्णय: निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा यूपीडा के गवर्निंग बोर्ड / निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 22.10.2021 गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपदों में आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली परियोजना हेतु आवश्यक भूमि के लिए जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं बृहद परियोजना) क्रय की दर एवं कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों के द्वारा पारित / संस्तुत व सम्बन्धित मण्डलायुक्तों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–02 **पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज संख्या–03 एवं पैकेज–08 अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र (Provisional Completion Certificate) जारी किये जाने की सूचना।**

कार्यवाही / निर्णय: प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त पैकेज–03 एवं पैकेज–08 के लिये Provisional Completion Certificate निर्गत किये जाने के आदेश एवं Part-B में सूचीबद्व कार्यो को कराये जाने को संज्ञान में लेते हुये बोनस के भुगतान व अनुपूरक अनुबंध गठित किए जाने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–03 **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अथॉरिटी इंजीनियर–।। को समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अथॉरिटी इंजीनियर–।। को समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–04 **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के ग्राम जरौली, बारा एवं बलीगेरावां में पूर्वानुमोदित दरों के अतिरिक्त नवीन दरों का कार्योत्तर अनुमोदन।**

जनपद–बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निमित्त तहसील हैदरगढ़ अन्तर्गत संरेखण के ग्राम–जरौली, बारा व बलीगेरावां में भू–स्वामियों की आपसी सहमति से परियोजना के पक्ष में भूमि क्रय करने हेतु शासनादेश सं0–2/2015/215/एक–13–2015–20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के अन्तर्गत गठित "क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समिति" की बैठक दिनांक 21.07.2021 के कार्यवृत्त एवं प्रस्ताव को ग्राम जरौली, बारा एवं बलीगेरावां, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में नवीन क्रय दर निर्धारण प्रस्ताव, जो आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या द्वारा दिनांक 25.09.2021 को अनुमोदित किया गया है, का कार्योत्तर अनुमोदन यूपीडा के स्तर से प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

जनपद से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया कि उपरोक्त ग्रामों में परियोजना के निमित्त आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विभिन्न दरों का निर्धारण/अनुमोदन पूर्व में किया गया है किन्तु **ग्राम जरौली में खडन्जा पर स्थित भूमि की दर सामान्य कृषि भूमि की दर से 10 प्रतिषत से वृद्धि कर स्पष्ट रूप से अनुमोदित नहीं की गयी है। इसी प्रकार के ग्राम बारा के लखनऊ वाराणसी मार्ग पर स्थित होने के बावजूद उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भूमि की दरें अनुमोदित नहीं की गयी हैं। इसी प्रकार ग्राम बली गेरावां में कृषि भूमि के आबादी एवं सडक दोनो से सहसंलग्न होने की स्थिति में दोनो में उच्चतर दर में 50 प्रतिषत अभिवृद्धि के साथ क्रय दर अनुमोदित नहीं की गयी है।**

पूर्वानुमोदित दरों एवं प्रस्तावित दरों का विवरण निम्नवत् हैः–

तहसील का नाम	ग्राम का नाम	अनुमोदन का प्रकार	भूमि का प्रकार	सर्किल रेट (प्रति हे0)	सर्किल रेट का चार गुना मूल्य (प्रति हे0)	यूपीडा द्वारा अनुमोदन का पत्रांक व दिनांक	कारण
हैदरगढ़	जरौली	पूर्वानुमोदित	सामान्य भूमि	21,00,000.00	84,00,000.00	पत्रांक 2230/यूपीडा 16/548-(02)-II दिनांक 28 दिसम्बर, 2016	
		पूर्वानुमोदित	खडन्जा की भूमि (दर से 10 प्रति0 अतिरिक्त)	21,00,000.00	84,00,000.00		
		पूर्वानुमोदित	आबादी 100 मी0 के अन्दर की भूमि	31,00,000.00	1,24,00,000.00		
		पूर्वानुमोदित	आबादी 100 मी0 के बाद की भूमि (दर से 40 प्रतिशत अतिरिक्त)	21,00,000.00	84,00,000.00		
		वर्तमान में अनुमोदन हेतु प्रस्तावित	**खडन्जा की भूमि (दर से 10 प्रति0 अतिरिक्त)**	**21,00,000.00 में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ 23,10,000.00**	**92,40,000.00**		गाटा सं0-24/0.265 हे0 विक्रय विलेख संख्या-4387 दिनांक 30.07.2019 का बैनामा यूपीडा के पक्ष में 21 लाख व 10 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 23,10,00.00 रू0 प्रति हे0 का 4 गुना 92,40,000.00 रू0 प्रति हे0 (खडन्जे से संलग्न भूमि) की दर से कराया जा चुका है। प्रतिफल धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

	बारा	पूर्वानुमोदित	सामान्य भूमि	35,00,000.00	1,40,000.00	पत्रांक 2230/यूपीडा 16/548-(02)-II दिनांक 28 दिसम्बर, 2016	
		पूर्वानुमोदित	आबादी 100 मी0 के अन्दर की भूमि	6600/35 लाख	2,60,000.00		
		पूर्वानुमोदित	आबादी 100 मी0 के बाद की भूमि (दर से 50 प्रतिशत अतिरिक्त)	35,00,000.00	1,40,000.00		
		वर्तमान में अनुमोदन हेतु प्रस्तावित	**राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भूमि**	**72,00,000.00**	**2,88,000.00**		गाटा सं0-137मि0/0.025 हे0 का विक्रय विलेख संख्या-7343 दिनांक 28.11.2017 एवं गाटा सं0-137मि0/0.291 हे0 का विक्रय विलेख संख्या-970 दिनांक 01.02.2018 का बैनामा यूपीडा के पक्ष में 72 लाख रू0 प्रति हे0 का 4 गुना 288 लाख रू0 प्रति हे0 (राष्ट्रीय राजमार्ग) की दर से कराया जा चुका है।
	बली गेरावां	पूर्वानुमोदित	सामान्य भूमि	17,00,000.00	68,00,000.00	649/यूपीडा 16/548-(02) दिनांक 24 जून, 2016	
		पूर्वानुमोदित	आबादी की भूमि	25,00,000.00	1,0,000,000.00		
		पूर्वानुमोदित	अन्य सड़क की भूमि	23,00,000.00	92,00,000.00		
		वर्तमान में अनुमोदन हेतु प्रस्तावित	**आबादी व सड़क से संलग्न संयुक्त (सडक व आबादी में (जो अधिक हो) 50 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर)**	**25,00,000.00 12,50,000.00 37,50,000.00**	**1,50,00,000.00**		गाटा सं0-349/0.9850 हे0 विक्रय विलेख सं0-5633 दिनांक 23.08.2016 का बैनाम यूपीडा के पक्ष में 25 लाख व 50 प्रतिशत अतिरिक्त कुल 37,50,000.00 रू0 प्रति हे0 का 4 गुना 1,50,00,000.00 रू0 प्रति हे0 (आबादी व सडक से संलग्न संयुक्त भूमि) की दर से कराया जा चुका है।

भूमि क्रय हेतु निर्गत शासनादेष सं0–2/2015/215/ एक–13–2015–20(48)/ 2011 दिनांक 19.03.2015 में दर निर्धारण करते समय भूमि की स्थिति का संज्ञान लिये जाने के प्राविधान हैं। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी बाराबंकी की अध्यक्षता में आहूत जनपद स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 21.07.2021 द्वारा उपरोक्त नई दरों का स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया गया है।

उपरोक्त दर एवं भूमि मूल्य को उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–13 के शासनादेश सं0–2/2015/ 215/एक–13–2015–20(48)/2011 दिनांक 19.03.2015 के प्राविधानों के अनुसार आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी के उपरोक्त दर निर्धारण प्रस्ताव दिनांक 21.07.2021 को अपने आदेष दिनांक 25.09.2021 द्वारा अनुमोदित किया गया है। यूपीडा के निदेशक मण्डल की 30वीं बैठक में निदेशक मण्डल की ओर से उपरोक्त अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किये जाने के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रस्ताव नियमसंगत पाये जाने के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार अनुमोदित किया गया है :–

ग्राम जरौली, बारा एवं बलीगेरावां में पूर्वानुमोदित दरों के अतिरिक्त नवीन दरों का कार्योत्तर अनुमोदन

क्रमांक	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	गाटा संख्या	अनुमोदन हेतु प्रस्तावित दर (प्रति हे0) एक गुना पर	अनुमोदन हेतु प्रस्तावित दर (प्रति हे0) चार गुना पर	सम्बन्धित बैनामें का विवरण जिनके अन्तर्गत कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
1	जरौली	खडन्जा की भूमि (सामान्य कृषि भूमि की दर से 10 प्रति0 अतिरिक्त)	24	23,10,000.00	92,40,000.00	4387/2019
2	बारा	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भूमि	137	72,00,000.00	2,88,00,000.00	7343/2017, 970/2018

3.	बली गेरावां	आबादी व सड़क से संलग्न संयुक्त (सडक व आबादी में (जो अधिक हो, में 50 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर)	349	37,50,000.00	1,50,00,000.00	5633/2016

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के ग्राम जरौली, बारा एवं बलीगेरावां में पूर्वानुमोदित दरों के अतिरिक्त नवीन दरों का कार्योत्तर से सम्बन्धित प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–05 **'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर चार 'फ्यूल स्टेशन्स' स्थापित किये जाने हेतु 'ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों' के चयन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय यूपीडा निदेशक मण्डल को निम्नवत् अवगत कराया गयाः–

1– 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' के निम्न चार स्थानों पर 'फ्यूल स्टेशन्स' स्थापित किये जाने का प्राविधान किया गया हैः–

(क) चैनेज 70+500 ग्राम–सरौली, तहसील–बाँदा, जनपद–बाँदा
(ख) चैनेज 128+500 ग्राम–चिल्ली, तहसील–राठ, जनपद–हमीरपुर
(ग) चैनेज 179+050 ग्राम–पुरवा रामपुर जालौन, तहसील–जालौन, जनपद–जालौन
(घ) चैनेज 224+325 ग्राम–किरवाहा, तहसील–जालौन, जनपद–जालौन

2– 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' के उपरोक्त चार स्थानों पर फ्यूल स्टेशन्स स्थापित करने हेतु सरकारी एवं निजी ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों से 'कम्पनी ओन्ड कम्पनी आपरेटेड' (कोको) पद्धति पर 'फ्यूल स्टेशन्स' स्थापित करने हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने के लिये निविदा अभिलेख (आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0) 'निविदा मूल्यांकन समिति' के अनुमोदनोपरान्त ई–टेण्डर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 25.02.2021 को प्रकाशित किया गया था।

3– प्रकाशित निविदा अभिलेख के क्रम में प्राप्त निविदाओं को 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 03.08.2021 में इच्छुक ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑनलाइन खोला गया था। तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनोंपरान्त 'निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा प्राप्त सभी निविदाओं के तकनीकी प्रस्तावों को अर्ह पाते हुए उनके वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 04.08.2021 को इच्छुक ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑनलाइन खोला गया था।

4– 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 04.08.2021 में ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न फ्यूल स्टेशन्स हेतु प्राप्त अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव (29 वर्ष 11 माह हेतु मासिक लीज रेन्ट–जीएसटी सहित) प्रस्तुत करने वाली निम्नलिखित ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को चयनित किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा प्रदान की गयी थीः–

क्र. सं.	फ्यूल स्टेशन का विवरण	ऑयल मार्केटिंग कम्पनी का नाम	प्रति माह लीज रेन्ट (जीएसटी सहित) (दो वर्ष मॉरेटोरियम अवधि के उपरान्त प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि सहित)
1	चैनेज 70+500 ग्राम–सरौली, तहसील–बाँदा, जनपद–बाँदा	मे0 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0	रु0 15,12,000.00 (रुपये पन्द्रह लाख बारह हजार) मात्र
2	चैनेज 128+500 ग्राम–चिल्ली, तहसील–राठ, जनपद–हमीरपुर	मे0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0	रु0 12,92,000.00 (रुपये बाहर लाख बयानवे हजार) मात्र
3	चैनेज 179+050 ग्राम–पुरवा रामपुर जालौन, तहसील–जालौन, जनपद–जालौन	मे0 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0	रु0 11,12,000.00 (रुपये ग्यारह लाख बारह हजार) मात्र
4	चैनेज 224+325 ग्राम–किरवाहा, तहसील–जालौन, जनपद–जालौन	मे0 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0	रु0 11,62,000.00 (रुपये ग्यारह लाख बासठ हजार) मात्र

5– 'निविदा मूल्यांकन समिति' द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय एवं संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 20.09.2021 में विचारोपरान्त समिति द्वारा उपरोक्त अधिकतम निविदा प्रस्तुत करने वाली ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को चयनित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था।

कार्यवाही / निर्णयः– यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए 'निविदा मूल्यांकन समिति' की बैठक दिनांक 04.08.2021 एवं 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 20.09.2021 में लिये गये निर्णयानुसार 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' के चार स्थानों पर फ्यूल स्टेशन्स स्थापित करने हेतु प्राप्त अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को चयनित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुये मा0 मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त करने तथा अनुमोदनोपरान्त चयनित ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों को लेटर आफ अवार्ड जारी करने, उनके साथ अनुबन्ध निष्पादित करने तथा उन्हें फ्यूल स्टेशन्स हेतु 'जहां है, जैसा है' के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अधिकृत किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–06 उत्तर प्रदेश में "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" का क्रियान्वयनः पी.पी.पी. मॉडल पर परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य हेतु विशिष्ट परामर्शी के रूप में मै.एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. की सेवाएँ नॉमिनेशन के आधार पर आबद्ध किए जाने के संबंध में:–

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि निदेशक मण्डलकी 28 अगस्त 2021 को सम्पन्न बैठक में यह संज्ञान में लिया गया था कि "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु पी.पी.पी. मॉडल पर परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्य हेतु विशिष्ट परामर्शी के रूप में मै. एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. की सेवाएँ नॉमिनेशन के आधार पर आबद्ध किए जाने के संबंध में प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन में विचाराधीन था। उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त-संदर्भित प्रस्ताव का अनुमोदन करके शासनादेश सं. 1967/77-3-2021-38एम/21 दिनांक 16 सितंबर 2021 जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत शासन के मुख्य निर्णय निम्नवत हैं:-

1. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित पीद्वारा (मालवीय .एन .एल .मै) मोड में परियोजना विकास परामर्शी .पी.पी. मोड के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का यूपीडा के पक्ष में .पी.पी.किए जा रहे वित्तीय अध्ययन एवं पी अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उन सभी का एक द्वितीय स्तरीय मूल्यांकन और वायबिलिटी गैप फंडिंग- .के आंकलन एवं तत्सम्बंधी कार्य के लिए एक विशिष्ट परामर्शी एजेंसी के रूप में मै (.एफ.जी.वी)एस .आई.बी. .कैपिटल मार्केट्स लि की सेवाएँ नॉमिनेशन के आधार पर ली जाएंगी।
2. मै .एस.कैपिटल मार्केट्स लि .आई.बी. के पत्र दिनांक में उल्लिखित स्कोप ऑफ वर्क को अनुमोदित 27.08.2021 किए जाने का निर्णय लिया गया है।
3. उक्त सम्पूर्ण कार्य के लिए परियोजना फीस के रूप में एस.कैपिटल मार्केट्स लि .आई.बी. को रु3 .,58,40,000.00 (रुपये तीन करोड़ अट्ठावन लाख चालीस हज़ार मात्रअतिरिक्त अनुमोदित किए जाने का .टी.एस.एवं उस पर जी (निर्णय लिया गया है।
4. मै .एस.कैपिटल मार्केट्स लि .आई.बी. की सेवाएँ उक्तानुसार नॉमिनेशन के आधार पर प्राप्त किए जाने से संबन्धित प्रक्रियात्मक परिचालनात्मक कार्य सामान्य /प्रक्रियानुसार यूपीडा द्वारा संपादित किए जाएंगे एवं इस हेतु यथावश्यक अनुमोदन समय समय पर शासन से प्राप्त किया जाएगा।
5. परियोजना विकास परामर्शी .के टर्म्स ऑफ रेफेरेंस और मै (मालवीय .एन .एल .मै)एसकैपिटल मार्केट्स .आई.बी. .लि के टर्म्स ऑफ रेफेरेंस के कार्यों में जिन बिन्दुओं में दोहराव)Overlappingहै (, उनके संबंध में यूपीडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मै .एस.कैपिटल मार्केट्स लि .आई.बी. द्वारा द्विस्तरीय कार्य)Second StageWorkही (किया जाएगा।
6. उक्त के संबंध में भविष्य में आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगे।

उक्त संदर्भित शासनादेश कानिदेशक मण्डलद्वारा अवलोकनकिया गया।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि यूपीडा द्वारा मै. एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. के साथ एक एग्रीमेंट दिनांक 01 अक्तूबर 2021 को संपादित किया गया है, जिसके क्रम में मै. एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। निदेशक मण्डल द्वारा उक्त शासनादेश में संदर्भित मै. एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. के प्रस्ताव पत्र सं.NDRO/PASF/21-22/133 दिनांक 27 अगस्त 2021 का भी अवलोकन किया गया जिसमें उनके स्कोप ऑफ वर्क तथा उन्हें देय परियोजना फीस रु. 3,58,40,000.00 (रुपये तीन करोड़ अट्ठावन लाख चालीस हज़ार मात्र) का चरण-वार विवरण दिया गया है।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डलद्वारा उक्त बिन्दुओं को संज्ञान में लेकर मै. एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. को परियोजना फीस रु. 3,58,40,000.00 (रुपये तीन करोड़ अट्ठावन लाख चालीस हज़ार मात्र) का कार्य-पूर्णता के अनुरूप चरण-वार भुगतान किए जाने तथा विषयान्तर्गत अन्य कार्यों हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–07 **यूपीडा के लेखा प्रभाग को सुदृढ़ एवं पुर्नगठन हेतु प्रस्ताव।**

यूपीडा में 05 एक्सप्रेसवे एवं 01 डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की लागत संयुक्त रूप से अनुमानित रू0 41,710/– करोड़ है। सभी परियोजनाओं के संचालन में प्रदेश सरकार के वित्तीय नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार किया जा रहा है। **वर्तमान में यूपीडा में केवल 01 वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति पर तैनात है एवं वित्त सेवा से वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के पद पर कोई तैनाती नहीं है।**

वर्तमान में यूपीडा में परियोजनाओं से सम्बन्धित वित्तीय कार्यों हेतु राजकीय उपक्रमों से सेवा निवृत्त कर्मियों को अनुबन्ध के आधार पर **सहायक प्रबन्धक** के पद पर संविदा पर तैनात किया गया है, एवं संविदा/आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से मुख्यालय पर लेखाकार पद पर 01 वरिष्ठ लेखाकार एवं 10 लेखाकार एवं परियोजना से आच्छादित जनपदों में 17 लेखाकार संविदा/आउटसोर्स के माध्यम से तैनात किये गये है। **परियोजनाओं में बढ़ते कार्य के दबाव के कारण यूपीडा मुख्यालय के लेखा प्रकोष्ठ की पुर्नगठन (Restructuring) किया जाना प्रस्तावित है।**

यह तथ्य भी विचारणीय है कि यूपीडा से कम वित्तीय भार एवं कम कार्य दबाव वाली परियोजनाओं के संचालन में वित्त नियंत्रक का पद लेवल–15 ग्रेड–पे 10,000 में सृजित है। वर्तमान में यूपीडा में केवल एक ही पद वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध कराया गया है एवं गंगा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 26 नवम्बर, 2020 में 19 वित्त सम्वर्ग पदों के सृजन पर सहमति प्रदान की गई।

अतः उक्त को संज्ञान में लेते हुये यूपीडा के वित्तीय प्रकोष्ठ की पुर्नगठन (Restructuring) हेतु निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

पुर्नगठन हेतु प्रस्ताव

(अ) मुख्यालय यूपीडा

	वर्तमान तैनाती			प्रस्तावित तैनाती			
क्र0 स0	पदनाम	संख्या	अद्यतन	पदनाम	संख्या	टीप	टिप्पणी
1	वित्त नियंत्रक	01	ग्रेड–पे 89,00/– से भरा गया है।	निदेशक (वित्त) यूपीडा का वार्षिक टर्न ओवर रू0 13,970 करोड से अधिक है। वित्त नियत्रंक के पद को निदेशक (वित्त) लेखा में उच्चीकृत किया जाना है।	01	ग्रेड–पे 10,000/–	69वीं निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदन प्रस्तावित

2.	लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति)/ प्रबन्धक वित्त (संविदा)	02	–	वित्त एवं लेखाधिकारी 1.आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं पेट्रोलिंग व्यय से सम्बन्धित लेन–देन 2.बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे 3. गोरखपुर एवं बलिया लिंक एक्सप्रेसवे 4. डिफेन्स कॉरिडोर	02		शासनादेश संख्या–2598/77–3–2020–21एम/19 दिनांक 26 नवमबर, 2020 द्वारा मुख्यालय हेतु प्रशासनिक स्वीकृत। 69वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मण्डल का अनुमोदन निवेदित है।
				योग–02			
3.	–	–	–	लेखाधिकारी/ प्रबन्धक	04	ग्रेड–पे 5400	सृजित नही शासन में प्रस्ताव
4.	सहायक प्रबन्धक	05	संविदा पर तैनात	–	–	–	–
5.	1–वरिष्ठ लेखाकार–01 2–लेखाकार–10	11	संविदा/आउट सोर्स पर तैनात	पूर्वतः	–	–	–
6	इर्न्टनल ऑडिट हेतु 04 ऑडिटर संविदा पर ए0जी0 यू0पी0 से सेवानिवृत्त	शून्य	शून्य	इर्न्टनल ऑडिट हेतु 04 ऑडिटर संविदा पर (ए0जी0 यू0पी0 से सेवानिवृत्त ऑटिर)	04	संविदा	निदेशक मण्डल की 67वीं बैठक दिनांक 16.07.2021 में स्वीकृत एवं 02 पदों पर चयन की कार्यवाही प्रचलित।
6	ऑडीटर टैक्स जी0एस0टी0 आयकर कार्य हेतु–01	शून्य	संविदा	ऑडीटर टैक्स जी0एस0टी0 आयकर कार्य हेतु–01	01	संविदा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 04.09.2021 के क्रम में चयन कार्यवाही प्रचलित निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्रस्तावित।
	वरिष्ठ सहायक ऑडिट–01 कम्प्यूटर आपरेटर लेखा–01 अनुसेवक–01	शून्य	आउटसोर्स	वरिष्ठ सहायक ऑडिट–01 कम्प्यूटर आपरेटर लेखा–01 अनुसेवक–01	03	आउटसोर्स	

(ब) पी0आई0यू0

	वर्तमान तैनाती			प्रस्तावित तैनाती			
क्र0 स0	वर्तमान	संख्या	अद्यतन	प्रस्तावित	संख्या	टीप	टिप्पणी
1.	लेखाकार कम कैशियर	17	संविदा/आउट सोर्स पर तैनात	लेखाकार कम कैशियर	17	संविदा/आउट सोर्स पर तैनात	पूर्वतः

कार्यवाही/निर्णय — उपरोक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यहित में कृत कार्यवाही पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–08 — **उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई, रोजगार प्रोत्साहन एवं निवेश नीति–2021 प्रख्यापित किए जाने के संबंध में।**

कार्यवाही/निर्णय — उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई, रोजगार प्रोत्साहन एवं निवेश नीति–2021 प्रख्यापित किए जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

अंत में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.10.2021 को सम्पन्न हुई 69वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 22.10.2021 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी